

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 229 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जून 2019—ज्येष्ठ 17, शक 1941

लोक सेवा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2019

क्र. 302-1424-2018-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-05—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार विलोपित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत  
वाणिज्यिक कर विभाग की सेवाएं

सेवा क्रमांक	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की गई निश्चित की समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33.1	औषध विनिर्माण के लिए एल-1 लाईसेंस	जिला स्तर पर सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी.	07 कार्य दिवस	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश.	10 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33.2	औषध विनिर्माण के लिए एल-2 लाईसेंस	जिला स्तर पर सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी.	07 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर	10 कार्य दिवस	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव.